संख्या - 005/सीआरडी/19
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 11.12.2012

परिपत्र सं0 18/12/12

विषय: नामांकन आधार पर प्रदान की गई कार्य/खरीद/परामर्शी संविदा में पारदर्शिता के संबंध में ।

आयोग, निविदा प्रक्रिया में तथा निविदा प्रदान करने सहित निर्णय करने के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा समानता का पालन करने की आवश्यकता पर बल देता रहा है । तथापि, आयोग में अभी भी निविदा में तथा निविदा प्रदान करने में गैर-पारदर्शी तरीकों को अपनाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें खुली प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया को अपनाने के स्थान पर नामांकन (एकल स्रोत प्रापण) आधार पर प्रदान करने से संबंधित होती हैं । आयोग ने दिनांक 05.07.2007 (प्रतिलिपि संलग्न) के अपने पिछले कार्यालय आदेश सं0 23/7/7 में उन अपवाद की परिस्थितियों को निर्धारित किया है जहां 'एकल स्रोत प्रापण' का सहारा लिया जा सकता है । ये दिशानिर्देश नगर निगम, मेरठ बनाम ए1 फहीम मीट एक्सपोर्ट प्रा0 लि0 [2006 का एसएलपी (सिविल) सं0 1074] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुवर्ती हैं ।

2. यथोचित स्पष्टीकरण के बिना 'नामांकन आधार' पर निविदा प्रदान करने के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अपने पिछले अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए उसे दोहराने का निर्णय लिया है । आयोग ने यह भी प्रेक्षित किया है कि ऐसे उदाहरण हैं जहां सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम अन्य सरकारी संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों से ठेका प्राप्त करते हैं और प्रतियोगी निविदा के बिना तथा प्राप्त करने वाले सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ने के बिना 'बैक टू बैक टाइ अप' आधार पर निजी लोगों को इसे आगे प्रदान करते हैं । यह प्रथा आयोग द्वारा निर्णय में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, स्वच्छता तथा समानता पर बल दिए जाने के प्रयास पर विपरीत प्रभाव डालती है । अत:, इस प्रथा को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, आयोग निदेश देता है कि नामांकन आधार पर प्रदान किए गए सभी निविदाओं को आयोग के दिनांक 05.07.2007 के कार्यालय आदेश के अनुसार वेबसाईट पर ऐसा करने के संक्षिप्त कारणों के साथ लोक क्षेत्र में डालें ।

3. कृपया इसकी पावती दें तथा अपने संगठन में सभी संबंधितों को परिचालित करें ।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

i) सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक

ii) सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के मुख्य सतर्कता अधिकारी

संख्या - 005/सीआरडी/19
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 05.07.2007

परिपत्र सं0 23/07/07

विषय: नामांकन आधार पर प्रदान की गई कार्य/खरीद/परामर्शी संविदा में पारदर्शिता के संबंध में ।

आयोग के परिपत्र सं0 15/5/05 का संदर्भ लें (दिनांक 9.5.2006 के पत्र सं0 005/सीआरडी/19 द्वारा जारी) जिसमें निविदा प्रदान करने के लिए पारदर्शी तथा खुले तरीके की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

2. इस परिपत्र से संबंधित विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रश्नों तथा संदर्भों का अवलोकन करने पर पता चलता है कि इनमें से बहुत यह विश्वास करते हैं कि **परिस्थिति की अपरिहार्यता (जैसा कि परिपत्र में बल दिया गया है)** के स्थान पर मात्र बोर्ड का कार्योत्तर अनुमोदन ही नामांकन आधार पर निविदा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है ।

3. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी सरकारी एजेन्सी द्वारा निविदा प्रदान करने की मूल आवश्यकता **निविदा प्रक्रिया अथवा सार्वजनिक नीलामी** है क्योंकि कोई भी अन्य विधि मुख्यतया नामांकन आधार पर निविदा प्रदान करना, संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है, का उल्लंघन होगा जो सभी इच्छुक पक्षों के समानता के अधिकार को अन्तर्निहित करता है ।

4. नगर निगम, मेरठ बनाम ए1 फहीम मीट एक्सपोर्ट प्रा0 लि0 [2006 का एसएलपी (सिविल) सं0 1074] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय का सार इसके समर्थन के लिए नीचे दिए गए हैं ।

"The law is well-settled that contracts by the State, its corporations, instrumentalities and agencies must be normally granted through public auction/public tender by inviting tenders from eligible persons and the notifications of the public-auction or inviting tenders should be advertised in well known dailies having wide circulation in the locality with all relevant details such as date, time and place of auction, subject matter of auction, technical specifications, estimated cost, earnest money deposit, etc. The award of Government contracts through public-auction/public tender is to ensure transparency in the public procurement, to maximize economy and efficiency in Government procurement, to promote healthy competition among the tenderers, to provide for fair and equitable treatment of all tenderers, and to eliminate irregularities, interference and corrupt practices by the authorities concerned. This is required by Article 14 of the Constitution. However, in rare and exceptional cases, for instance, during natural

calamities and emergencies declared by the Government; where the procurement is possible from a single source only; where the supplier or contractor has exclusive rights in respect of the goods or services and no reasonable alternative or substitute exists; where the auction was held on several dates but there were no bidders or the bids offered were too low, etc., this normal rule may be departed from and such contracts may be awarded through 'private negotiations'."

(Copy of the full judgement is available on the web-site of the Hon'ble Supreme Court of India, i.e., www.supremecourtofindia.nic.in)

5. आयोग सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह देता है कि आवश्यक प्रेक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संपूर्ण निर्णय के साथ उपर्युक्त प्रेक्षण के बारे में अपने संबंधित बोर्ड/प्रबंधन को औपचारिक रूप से सूचित करें । इस संबंध में की गई कार्रवाई की पुष्टि मुख्य सतर्कता अधिकारी की मासिक रिपोर्ट में दर्शाए जाएं ।

6. इसके अतिरिक्त, सभी नामांकन/एकल निविदा ठेके कार्योत्तर वेबसाईट पर डालें ।

ह0/-
(राजीव वर्मा)
अवर सचिव

प्रति

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी